

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.2(7)नविवि/नियम/2018

जयपुर, दिनांक: १८ JUL 2019

परिपत्र

विषय:- जमीन विरथापितों को मुआवजे में दी जाने वाली जमीन की रजिस्ट्री अथवा कोई भी नया भूमि समझौता महिला व पुरुष दोनों के संयुक्त नाम से करने के संबंध में विरथापितों को आवंटित की जाने वाली भूमि की लीज डीड पति एवं पत्नि के संयुक्त नाम से जारी किए जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि किसी परिवार को प्राधिकरण / न्यास / आवासन मण्डल द्वारा किसी योजना / प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु अथवा प्रशासनिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से मौजूदा स्थल से विरथापित किया जाकर पुर्नवासित किये जाने की स्थिति में भूमि / भवन का आवंटन किया जाकर लीज डीड परिवार के मुखिया के नाम ही जारी की जाती है।

राज्य सरकार का अभिमत है कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने एवं उन्हें सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से विरथापित परिवार को आवंटित की जाने वाली भूमि / भवन की लीज डीड पति एवं पत्नि के संयुक्त नाम से जारी की जावें।

अतः राज्य सरकार एतद्वारा समर्त प्राधिकरण / न्यास / आवासन मण्डल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विरथापित परिवारों को भूमि / भवन का आवंटन एवं लीज डीड निष्पादन किये जाने की स्थिति में ऐसा आवंटन व लीज डीड निष्पादन पति एवं पत्नि के संयुक्त नाम से जारी किया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हंदेश कुमार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव--तृतीय

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
- आयुक्त, जयपुर / अजमेर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
- आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव / प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
- सचिव, नगर विकास न्यास (समर्त), राजस्थान।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
- उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेक्साइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव--तृतीय